

आरएफसी
(अनुच्छेद 14 ई.2 (i))
आरएफसी खाता खोलने के लिए आवेदन

सेवा में
प्रबंधक,

कृपया मेरे नाम पर एक आरएफसी खाता खोलें. सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार हैं:

1. आवेदक का नाम और पता :

2. राष्ट्रियता :

3. मूल (उल्लेख करें कि क्या आप :
भारतीय मूल से हैं,)

4. पासपोर्ट विवरण :
पासपोर्ट संख्या :
जारीकर्ता प्राधिकारी :
समाप्ति तारीख :

5. भारत का निवासी बनने के लिए
भारत में आगमन की तारीख :

6. भारत के बाहर निवास के विवरण :

देश	से	अवधि	तक	व्यवसाय की
प्रकृति				

(पासपोर्ट के संबंधित पृष्ठों की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

7. क्या भारत के बाहर आपका कोई रोजगार या व्यापार या व्यवसाय है? :

यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण विवरण दें

8. विदेशी मुद्रा जिसमें आरएफसी खाता/खाते खोला जाना है/खोले जाने हैं :

9. अपेक्षित खाते का प्रकार (सावधि, जमा, चालू या बचत खाता, जो भी है उल्लेख करें) :

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने आरएफसी खाता योजना के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है. मैं घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त दर्शाये गये विवरण सही हैं और मैं लागू योजना के अनुसार आरएफसी खाता खोलने एवं संचालित करने के लिये पात्र हूँ. मैं सहमत हूँ कि आरएफसी खाता(ते), आरएफसी खाता योजना एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होगा/होंगे.

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

आवेदक के लिए अनुदेश

- I. आवेदक को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व आरएफसी खाता योजना को ध्यान से पढ़ें.
- II. आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण नहीं दिए जाने की स्थिति में खाता नहीं खोला जायेगा.
- III. आवेदक द्वारा पूर्णतः भरा व हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म, आवेदक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित पासपोर्ट की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए. आवेदन के साथ सत्यापन हेतु पासपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिये.
- IV. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधान के अनुसार आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्रस्तुत करना प्रावधान का उल्लंघन करना होगा.

- V. प्राधिकृत डीलर द्वारा पात्रता और आरएफसी खाते में जमा की जाने वाली प्रस्तावित निधि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में पुष्टि करने के लिए, यदि बाद में आवश्यक समझा जाए तो, आवेदक को वांछित अन्य विवरण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
- VI. आरएफसी खातों में नामांकन सुविधा निवासी रुपया खाते के समान ही उपलब्ध होगी.

RFC
(Paragraph 14 E.2 (i))
APPLICATION FOR OPENING AN RFC ACCOUNT

To,

The Manager,

Please open an RFC Account in my name. The relevant particulars are as under:

1. Name and Address of the applicant :

2. Nationality :

3. Origin (state whether you are of
Indian origin) :

4. Passport Particulars
Passport No :
Issuing Authority :
Expiry Date :

5. Date of arrival in India to become
a resident in India. :

6. Particulars of residence outside India :

COUNTRY	PERIOD	FROM	TO	NATURE OF OCCUPATION
---------	--------	------	----	----------------------

(An attested copy of the relevant pages of the passport must be enclosed)

7. Do you continue to have any employment :
or business or vocation outside India?
If so please give full particulars.
8. Foreign currecny/ies in which RFC Account/ :
s is/are to be opened.
9. Type Account desired (state whether fixed :
deposit, current or savings account.)

I hereby declare that I have gone through the provisions of the RFC Account Scheme. I declare that the particulars state hereinabove are correct and I am eligible to open and maintain RFC Account under the Scheme as applied. I agree that the RFC Account shall be governed by the RFC Accounts Scheme and the directions issued by the Reserve Bank under the Foreign Exchange Regulation Act 1973, from time to time.

(Signature)

Place :

Date :

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANT

- i) Applicant is advised to read carefully the RFC Accounts Scheme before making the application
- ii) Account will not be opened unless full particulars are furnished in the Application Form.
- iii) Application Form duly filled in and signed must be accompanied by copies of the relevant pages of the passport duly certified by the applicant as true copies. The passport should be submitted along with the application for verification.
- iv) Furnishing any false information in the application amounts to a contravention of the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.
- v) Applicant should furnish such other particulars or documents, as may be required by the authorised dealer for the latter to satisfy himself that the applicant is an eligible person and the funds proposed to be credited to the RFC Account are eligible for the purpose.
- vi) Nomination facility is available to the RFC Accounts as in the case of resident rupee accounts.